

# 23

## भूमि हस्तान्तरण

### विषय सूची

क्र0 सं0	विषय	शासनादेश सं0 तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
1	भूमि हस्तान्तरण किये जाने हेतु प्राधिकार	सं0-260 / वि0अनु0-3 / 2002, देहरादून, दिनांक-15 फरवरी, 2002	29-30

उन्नतराजिक शासन  
 वित्त अनुसारा- 3  
 संख्या: २६० / वि. अ. ३/२००२  
 देहरादून: दिनांक: १५ फरवरी, २००२  
 कार्यालय द्वाप

अधिकारी को यह छने हा निषेद्ध हुआ है कि राज्य के एक सेवा किसान Service कोई द्वारा दूसरे सेवा किसान को कोई सेवा व सम्पूर्ण वर्तमान नियमों के अनुसार बिना मूल्य लिए भी जाती है इस सिद्धान्त के अनुसार एक सेवा किसान द्वारा कोई इमारि या शक्ति वित्तीय उत किसान को आवश्यकता न हो, दूसरे सेवा किसान को बिना मूल्य लिए हस्तान्तरित भी जा सकती है। परन्तु ऐसे मामलों में किस किसान की स्थिति आवश्यक होती है ; वित्तीय अधिकारों के विनेद्री वरण के लिए मैं किस किसान को यह सुझाव दिया गया है कि इमारि हस्तान्तरण के मामलों में प्रशासकीय किसान को पूर्ण अधिकार प्रतिनिधित्व कर दिये जायें। प्रस्ताव पर समुचित विवाद करने के उपरान्त राज्यपाल भौमोदय प्रशासकीय किसानों के संघियों को राज्य के एक सेवा किसान द्वारा दूसरे सेवा किसान को नियन्त्रित शर्तों के अन्तर्गत इमारि हस्तान्तरण करने के अधिकार प्रतिनिधित्व करते हैं।

1. इमारि का हस्तान्तरण बिना मूल्य लिये किया जायेगा। वन मामलों में भूमि के बाजार मूल्य की सीमा पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
2. यिस परियोजना के लिए इमारि हस्तान्तरण किया जा रहा है वह एक अनुमोदित परियोजना है और उसके लिए आवश्यक प्राविधान किया जा चुका है ताकि उसी ही इमारि का हस्तान्तरण किया जाये जिसका राम विरोध के लिए आवश्यक हो।
3. इमारि पर कोई दार्यार्थिक आवाहा ऐतिहासिक महत्व की इमारत नहीं।
4. यदि इमारि वन किसान की "रहित वन इमारि" हो तो वह हस्तान्तरण के बावधी "रहित वन इमारि" की रहेगी। "रहित वन इमारि" के हस्तान्तरण से सम्बन्धित ग्रामवासियों की कोई ग्रापत्ति न हो और हस्तान्तरित इमारि के उपयोग करने के साथ में लगी हुई वन इमारि और वन सम्पदा को कोई हानि नहीं होती जाएगी।
5. वन किसान दूसरे सेवा किसान से हस्तान्तरित "इमारि" को कोई मूल्य नहीं लेगा लेकिन यदि उस इमारि पर पेड़ इत्यादि अन्य वन सम्पदा हो तो प्राप्तकर्ता किसान द्वारा वन किसान को उक्त वन सम्पदा का मूल्य इनुगतानकरना पड़ेगा।
6. हस्तान्तरित इमारि यदि प्रस्तावित कार्य से मिलन प्रयोजन के लिए उपयोग की जाय तो उसके लिए मूल किसान से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा, और यदि

भूमि की आवश्यकता न हों या तीन कार्यों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती है तो उसे मूल किसाग को वापस लेना होगा ।

7. सीमा सङ्करण को अन्य सेवा किसागों की आंतिक भूमि सङ्करणार्था देतु कल्पराण्ड अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार के परावरण एवं बन स्थान से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त निःशुल्क हस्तान्तरित की जायेगी ।

8. उत्तरांक राज्य में स्थात अन्य सरकारी भूमि सङ्करणार्था देतु सीमा सङ्करण को निःशुल्क हस्तान्तरण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भूमि पर खिलाफी किसाग का स्वामित्व है, उसकी सहमति / अनापत्ति लिखित रूप से प्राप्त कर ली गई है ।

9. किंतु य नियम संग्रह छाण्ड-1 में आवश्यक संपादनान घटा समय अलग से लिए जायें ।

*खट्टर*  
१ के० सौ० मि० १  
उपर सचिव ।

संख्या: 260 / वित्त भूमि-उ/2002, तदूदिनीक:

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूक्ष्मार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही देतु  
प्रक्रिया ।

11. समस्त सचिव/उपर सचिव, उत्तरांक शासन ।

12. महालेहांकर, उत्तरांक ।

आश्रा से

*रमेश चन्द्र शर्मा*  
उनु सचिव, वित्त ।